

हिण्डोली

भूमि पर दौरान वाद अपने कब्जे काश्त की
संबंधित करवाने आया है। क्योंकि अर्थात् स. 1,
पार्सी को सिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हैं इस्लाम
करने पर आमदा है। मामला प्रथम दुर्गा पार्सी
के पक्ष में बन रहा है, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त
भी पार्सी के दुक में बनता है, पार्सी को अप्रशुभ घंटी
की सम्भावना बन रही है।

~~अतः उपर्युक्त अतः अर्थात् स. 1 को अर्थात्~~
पेश तक अर्थात् निवेद्यात् से पाकंद क्रिया जाता है
विवाहित भूमि खाता संख्या - 598 के ख. नं. 1284,
1284/1756, 2058/1760 कुल किला 3 कुल रकबा
1.8211 हेक्टेयर वाले गाम शनीपुरा पं.सं. शनीपुरा
पर से पार्सी को इस्लाम नद्दी करे, पार्सी के कब्जे
काश्त में भूमि के उपयोग अर्थात् में इस्लाम
नद्दी करे। पत्रावली पूर्व निम्न दिनांक - 07/11/20
को पेश है।

अध्यापक अधिकारी
हिण्डोली

7/11/25

पत्रावली पेश। बहुत अंतिम वकील पार्सी सुनी गई।
बहुत के दौरान प्रस्तुत तरीके पर मनन क्रिया जाकर
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
क्रिया गया। पार्सी ने विवाहित भूमि पूर्व में अर्थात्
से क्रम करना व अर्थात् के समय से ही परिफल पूर्व
स्वतंत्र को भ्रमण कर निरंतर काश्त काश्त करते
आता कबन क्रिया है। विवाहित भूमि अपने नाम
दर्ज नद्दी होने से पार्सी को अर्थात् इस्लाम
करने पर आमदा हो रहे है। जिनको दौरान वाद

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुकम को
में जारी

विचारण होके जाने का निवेदन किया है व
साब डी कथन निमा की यदि हमें वादमें
अनुतोष नही मिलता है तो भी हमें निमा
विधिक प्रक्रिया अपनाये हमें वैश्वल नही करे।
अपार्थी को ताफैसला वाद उबर कथ नही करने
देहु पाबन्द किया जावे।

भागलथ दौराने वाद विवादित भूमिओं को
संरक्षित करना उचित समझता है ताकि अनावश्यक
वाद बाहुलता ना हो। अतः प्रकरण में भागलथ
द्वारा जारी रचगना आदेश दिनांक 15/10/25
ताफैसला वाद "कन्फर्म" (confirm) किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर वाद लकमिल
नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निगम
सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दिण्डोली